असाधारण रजिस्ट्रेशन नं. जे के–33

सत्यमेव जयते

जम्मू और कश्मीर अधिकारिक राजपत्र

खंड–138] जम्मू, सोमवार, 06 अक्तूबर, 2025 / 14 आश्विन, 1947. [सं. 28-14

इस भाग को अलग पृष्ठीकरण दिया गया है ताकि इसे एक अलग संकलन के रूप में दर्ज किया जा सके ।

भाग II—सी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाएं, सूचनाएं एवं आदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

दिनांक : 06 अक्तूबर, 2025
आश्विन 14, 1947 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/रा.स.–जे&के/1–3/2025(2) – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन

आयोग जम्मू—कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के परामर्श से 06 अक्तूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले तीनों द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में एतद्द्वारा—

(i.) नीचे की सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा

(ii.) उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रुप में पदाभिहित अधिकारी	**सहायक रिटर्निंग आफिसर के रुप में नियुक्त अधिकारी**
(1)	**(2)**
श्री मनोज कुमार पंडित, सचिव, जम्मू—कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा	**श्री बिलाल अहमद भट,** अपर सचिव, जम्मू—कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा

आदेश से,

ह/-

सुमन कुमार दास,
सचिव।

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित ।

ह./-

अनिल सलगोत्रा (ज.क.प्र.से.),

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
जम्मू—कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र।